न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/200/2018

उनवान

1. हरजी पिता रामचन्द्र मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 131/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री मनीष कांटिया , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का हरसिया में आराजी नम्बर 781/587 बिलानाम भूमि में से वादी को 5 बीघा भूमि का 1983 में आवंटन हुआ था। जिस पर आवंटन के समय से ही वादी का लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूलवश राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन नहीं किया गया व भूमि बिलानाम ही दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। वादी को आवंटन करने के के पश्चात आराजी नम्बर 587 जो काफी बडा रकबा था उसमें कई व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई व बटा नम्बर डाले गये । उक्त आराजी मे शेष रही भूमि के बटा नम्बर 781/587 डाले गये। राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन नहीं होने से मौके पर लडाई झगडे होते है एवं हर एक व्यक्ति शक्ति के बल पर भूमि को छीनना चाहता है । वादी ने तहसील में दरख्वास्त दी जिसे कार्यवाही हेतु पटवारी के पास भेजा गया परन्तु कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी को अंकन कराने का अधिकारी है।

2. वादी ने आवंटन के बाद वादग्रस्त आराजी को उपजाऊ बनाने के लिए काफी मेहनत की है । वर्तमान में इसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखे जाने का जमाबंदी में नोट लगा दिया है जो गलत इन्द्राज है। वादी के पास वादग्रस्त भूमि के अलावा नही के बराबर भूमि है। वादग्रस्त आराजी जीवकोपार्जन के लिए है। यदि वादग्रस्त भूमि वादी से छीन ली गई तो वादी का परिवार भूखों मर जायेगा। दिनांक 15.1.2013 को पटवारी द्वारा रेकार्ड में अंकन करने से मना करने के कारण वाद हेतुक उत्पन्न होकर जारी है। अतः ग्राम भवानी पुरा पटवार हल्का सरसिया स्थित आराजी नम्बर 781/587 रकबा 8 बीघा में से 5 बीघा भूमि जिस पर वादी का कब्जा है उस भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीम करने की डिक्री प्रदान की जावे एवं वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.11.2017 को वास्ते तनकी नियत थी परन्तु उस दिन तनकी नहीं बनाई व दिनांक 18.12.2017 की तारीख पेशी नियत की गई। उस दिन पीठासीन अधिकारी नहीं होने से सील लगाकर तारीख परिवर्तित कर दी गई व दिनांक 11.3.2018 की तारीख पेशी नियत की गई व उस दिन भी सील लगाकर तारीख परिवर्तित करते हुए 20.3.2018 की तारीख पेशी नियत की गई उस दिन भी सील लगाकर तारीख पेशी दिनांक 13.6.2018 नियत की गई परन्तु दिनांक 16.5.2018 को बिना अपीलार्थी को विधिवत सूचना दिये ही विधि के सुस्थापित नियमों की पालना किये बिना ही दिनांक 16.5.2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प में तलब कर फैसल शुमार कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, रिकार्ड का भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलोकन नहीं कर विधि के सुस्थापित नियमों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का सरसिया में आराजी नम्बर 587 एक काफी बडा रकबा था जिसमें कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी व वर्तमान में कई व्यक्तियों के नाम पर उक्त भूमि खातेदारी से दर्ज है व समय–समय पर उक्त भूमि के बटा नम्बर पडते गये । वर्तमान में 781/581 भूमि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज है जिस पर अपीलार्थी वक्त आवंटन से ही काबिज होकर आज पर्यन्त उक्त आवंटित भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी गरीब काश्तकार है जिसका मुख्य कार्य कृषि है व कृषि कार्य ही अपीलार्थी व उसके परिवार का जीवन पालना का साधन है अपीलार्थी के आवंटन के पश्चात अपीलार्थी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना करते हुए आवंटित भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व आवंटित भूमि पर लाखों रूपये लगाकर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को सन् 1983 में विधिवत आवंटन किया गया व अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया । उसके पश्चात अपीलार्थी आवंटित भूमि पर काबिज होकर आज तक निरन्तर शान्तिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व अधिकारियों ने अपीलार्थी के विरूद्ध घोर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त भूमि को अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की जिससे अपीलार्थी को काफी मानसिक वेदनाएं झेलनी पड रही है व अपीलार्थी आवंटित भूमि को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी था। उक्त तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनिक भी विचार नहीं कर अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की विवेचना नहीं कर संक्षिप्त रूप में निर्णय पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का सरसिया तहसील जहाजपुर की आराजी संख्या 781/587 को आवंटन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण की आरे से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का हरसिया में आराजी नम्बर 781/587 बिलानाम भूमि में से अपीलार्थी/वादी को 5 बीघा भूमि का 1983 में आवंटन हुआ था। अपीलार्थी को विधिवत आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया । जिस पर आवंटन के समय से ही वादी का लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूलवश राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन नहीं किया गया व भूमि बिलानाम ही दर्ज है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसे अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर नही मिल पाया था। जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया।

13. हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेट ए पार्ट कर लिया जाना भी अंकित किया है। अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त आवंटन से ही अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आवंटन हेतु आवेदन पत्र संलग्न है जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा भवानीपुरा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 587 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी/वादी को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न सिपुर्दगीनामा का अवलोकन किया गया । उक्त सिपुर्दगीनामा दिनांक 7.5.1983 को तैयार किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का एवं हीरा लाल, जगदीश, विक्रम, शैतान सिंह मीणा के हस्ताक्षर है । उक्त सिपुर्दगीनामा पर आवंटी/अपीलार्थी हरजी के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को आवंटित भूमि को उसे सिपुर्द किया जाना ही संदिग्ध हो जाता है।

14. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर वक्त आवंटन से आज तक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी ने इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य, गिरदावरी अथवा पी–14 के कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होने की पुष्टि होती हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण रजिस्टर की सत्य फोटो प्रति का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आराजी नम्बर 587 मीन में से 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है उस पर वह काबिज है । जबकि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई थी उस समय बिलानाम काबिलकाश्त दर्ज रेकार्ड है। यदि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का आवंटन के समय से ही लगातार कब्जाकाश्त होता तो निश्चित ही उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाती । अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. अपीलार्थी का कथन है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में तनकियात कायमी में नियत था। प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई एवं अपीलार्थी को विधिवत सूचना दिये बिना ही एवं विधि के सुस्थापित नियमों की पालना किये बिना ही दिनांक 16.5.2018 को पत्रावली को न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प में तलब कर फैसल शुमार कर दिया गया। हमनें अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.5.2018 का अवलोकन किया । न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प में वादी/अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित होने से वादी को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में भी अपील मेमो में अंकित कथनों को साबित करने के लिए कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती हो। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर आवंटन के पश्चात से ही काबिज हो एवं आवंटन शर्तो की पालना की हो साक्ष्य सबूत से साबित करने में असफल रहा है। प्रस्तुत अपील के निर्णय में वादी/अपीलार्थी आराजी नम्बर 78/587 बाबत कोई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना निष्कर्षित होता है।

16. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/2006/2018

उनवान

1. हरजी पिता रामचन्द्र मीणा निवासी भवानीपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 131/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/200/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस

यह अपील तारीख 26.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मनीष कांटिया प्रत्थर्थीगण की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.5.2018 को यथावत रखा जाता है। इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस